



Neutral Citation No. - 2026:AHC:36502

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 2165 वर्ष 2026

साधना कुमारी

.....याचिकाकर्त्री

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्त्री के लिए अधिवक्ता : अजय मिश्रा, ऋतेश कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रत्यर्थीगण के लिए अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. श्री कृष्ण मिश्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता, जिन्हें श्री कुमार प्रज्ज्वल (ए/के 2174/2025) द्वारा, श्री अजय मिश्रा, याचिकाकर्त्री के विद्वान अधिवक्ता के स्थान पर अस्थायी रूप से न्यायालय में उपस्थित होते हुए सहायता प्रदान की गई, तथा श्री गौरव सिंह, राज्य-प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।
2. इस न्यायालय द्वारा दिनांक 13.02.2026 को उक्त याचिका स्वीकार करते हुए विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता को निर्देश दिए गए थे कि वे निर्देश प्राप्त करें तथा प्रकरण को आज हेतु नियत किया गया था। आज, श्री गौरव सिंह, विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा निर्देश प्रस्तुत किए गए हैं और उन्होंने निवेदन किया है कि वे निर्देशों से पूर्णतः अवगत हैं तथा उपलब्ध निर्देश इस रिट याचिका के निस्तारण हेतु पर्याप्त हैं और वे कोई अतिरिक्त शपथपत्र दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं। अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, पक्षकारों की सहमति से, इस रिट याचिका का निस्तारण प्रवेश स्तर पर ही किया जा रहा है।
3. याचिकाकर्त्री का प्रकरण यह है कि यद्यपि वह मुख्य सेविका के पद पर कार्यरत थीं, तथापि दिनांक 04.10.2025 को उन्हें बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



गया। तत्पश्चात दिनांक 26.12.2025 को, निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पोषण निदेशालय, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ द्वारा पारित आदेश के माध्यम से उन्हें निलंबित कर दिया गया।

4. उक्त निलंबन आदेश को चुनौती देते हुए वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।

5. आदेश पारित होने के उपरांत आज, जिला कार्यक्रम अधिकारी, औरैया द्वारा दिनांक 18.02.2026 को हस्ताक्षरित निर्देश प्रस्तुत किए गए हैं, जिन्हें अभिलेख पर ग्रहण करते हुए परिशिष्ट 'ए' के रूप में अंकित किया जाता है।

6. याचिकाकर्त्री के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि याचिकाकर्त्री के विरुद्ध लगाए गए समस्त आरोप, जो निलंबन का आधार बने हैं, याचिकाकर्त्री से संबंधित नहीं हैं, क्योंकि याचिकाकर्त्री को मुख्य सेविका के पद से बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर दिनांक 04.10.2025 को पदोन्नत किया गया, जबकि आरोप उस अवधि से संबंधित हैं जो उनकी उक्त पद पर नियुक्ति से पूर्व की है। यह भी निवेदित किया गया है कि याचिकाकर्त्री को कभी भी गोदाम में रखे मध्याह्न भोजन से संबंधित कच्चे माल की सूची अथवा विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया तथा इस संबंध में मुख्य सेविकाएं, श्रीमती विमलेश कुमारी, श्रीमती अनुपमा श्रीवास्तव तथा कार्यालय लिपिक उत्तरदायी हैं। यह भी निवेदन है कि पदभार ग्रहण करने के पश्चात याचिकाकर्त्री द्वारा विद्यार्थियों हेतु मध्याह्न भोजन से संबंधित खाद्यान्न वितरण के संबंध में यथासंभव आवश्यक कदम उठाए गए। यह भी कहा गया कि दिनांक 03.12.2025 को याचिकाकर्त्री को नोटिस जारी किया गया था, तथापि याचिकाकर्त्री ने यह प्रदर्शित किया है कि उनका निलंबन अवैध है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि निलंबन निरस्तीकरण हेतु याचिकाकर्त्री द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2, जो नियुक्ति प्राधिकारी है, के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जा चुका है, किंतु अब तक उस पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

7. अतः उन्होंने अपना निवेदन याचिकाकर्त्री द्वारा दिनांक 30.12.2025 को प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष प्रस्तुत निलंबन निरस्तीकरण संबंधी अभ्यावेदन के निस्तारण तक सीमित रखा है।

8. इसके विपरीत, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आरोप स्पष्ट हैं तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा समस्त तथ्यों पर विचार करने के उपरांत याचिकाकर्त्री को निलंबित किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि याचिकाकर्त्री पूर्व में मुख्य सेविका के पद पर कार्यरत थीं तथा

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



तत्पश्चात पदोन्नत हुई, परंतु केंद्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तथापि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि याचिकाकर्त्री निलंबन निरस्तीकरण हेतु निवेदन कर सकती हैं तथा यदि उन्होंने अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है तो उस पर विधि के अनुसार विचार किया जाएगा।

9. प्रतिपक्षी पक्षों के निवेदनों पर विचार करते हुए तथा समग्र तथ्यपरक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए, चूंकि विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा निर्देशों के आधार पर यह निवेदन किया गया है कि वे निलंबन निरस्तीकरण हेतु प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष प्रस्तुत होना चाहते हैं, अतः इस स्तर पर प्रकरण के गुण-दोष में प्रविष्ट हुए बिना, यह रिट याचिका इस निर्देश के साथ **निस्तारित** की जाती है कि प्रत्यर्थी संख्या 2, याचिकाकर्त्री के निलंबन निरस्तीकरण संबंधी अभ्यावेदन पर विचार करते हुए, अभिलेख प्रस्तुत किए जाने की तिथि से छह सप्ताह की अवधि के भीतर विधि के अनुसार निर्णय ले।

10. उपर्युक्त अवलोकनों के साथ, रिट याचिका **निस्तारित** की जाती है।

दिनांक : 18 फरवरी, 2026

अशु

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”